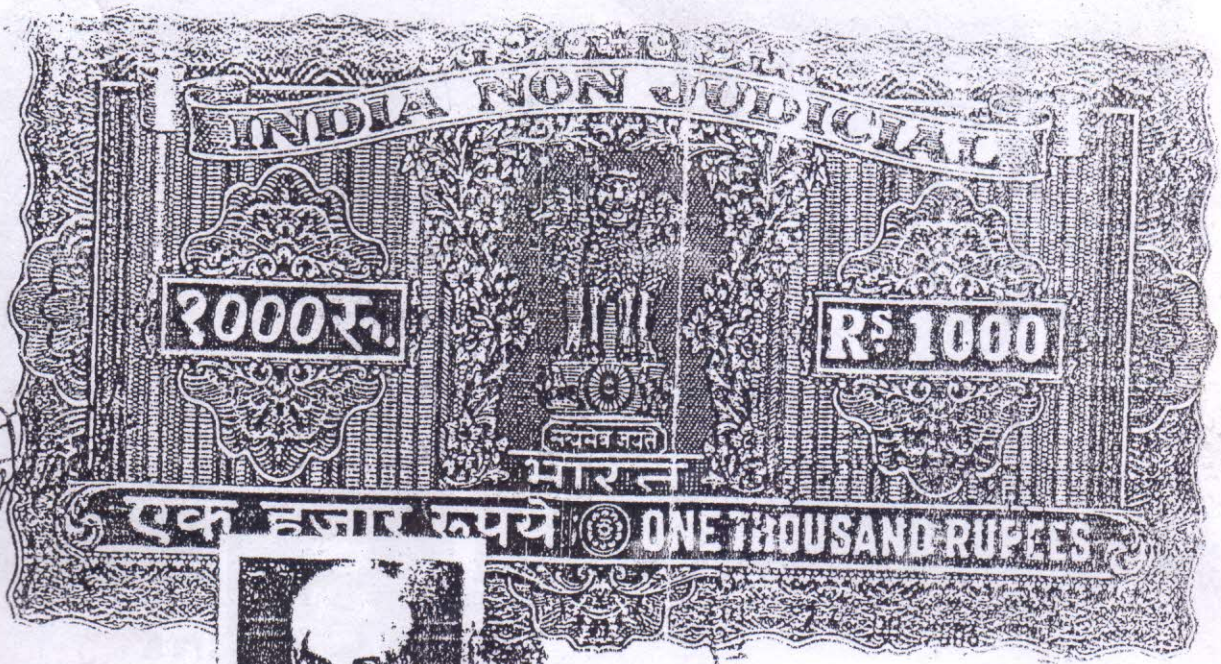

253130

: : 1 : :

पट्टा विलेख : अवधि 30 वर्ष

पट्टे पर दी जा रही सम्पत्ति नगर निगम व विकास क्षेत्र मेरठ की सीमा के अन्दर स्थित है।

स्टाम्प शुल्क : 3600/- रूपये।

हम कि सिमबॉयोसिस इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशनस, पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ शहर द्वारा चेयरमैन श्री ब्रह्मपाल सिंह पुत्र चौधरी राम निवास सिंह निवासी कोठी पोन प्लेजर, शिवाजी रोड, मेरठ शहर...प्रथम पक्ष/पट्टादाता।

एवं

फोर्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, ग्रीन पार्क मवाना रोड, मेरठ द्वारा सचिव श्री दिव्य पाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह निवासी 105 शास्त्री नगर, मेरठ शहर...द्वितीय पक्ष/पट्टा ग्रहिता।

जो कि आवासीय भूमि क्षेत्रफल 6174 (छः हजार [illegible]) वर्ग मीटर भाग खसरा नं0 220 (दो सौ बीस) स्थित ग्राम [illegible] मवाना रोड मेरठ [illegible] जिसका एक मात्र स्वामी व अधिपति प्रथम पक्ष पट्टा दाता [illegible] भूमि [illegible] प्रत्येक प्रकार के ऋण [illegible] इकरार [illegible]

Forte Institute of Technology
Meerut

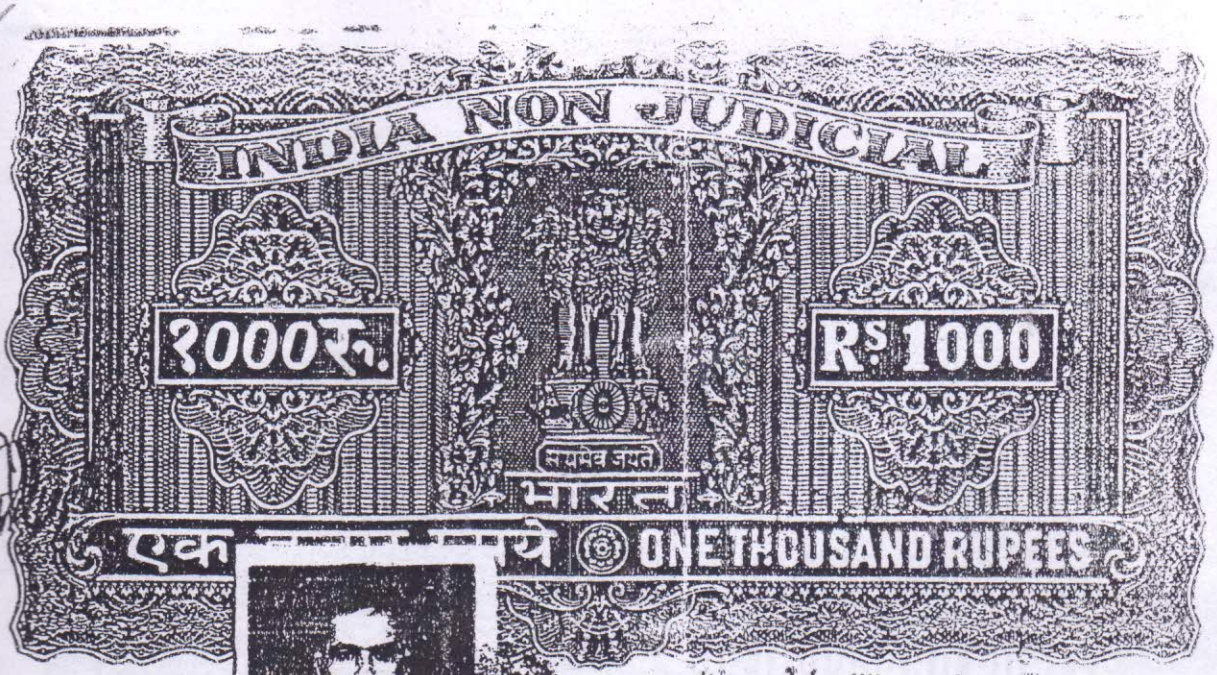

24 JUL 2006

253151

है। द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्य हेतू 30 तीस वर्ष की अवधि हेतू लेने की इच्छा प्रथम पक्ष से दिनांक 17-1-2005 ई0 को व्यक्त की थी। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी उक्त भूमि 6174 वर्ग मीटर को आंकन 6000/- छः हजार रूपये वार्षिक लीज रेन्ट की दर से द्वितीय पक्ष को देना तय कर लिया था। प्रथम पक्ष ने 5000 वर्ग मीटर भूमि दिनांक 17-1-2005 ई0 को व 1174 वर्ग मीटर भूमि उसके बाद द्वितीय पक्ष को दे दी थी। जिसके सम्बन्ध में यह पट्टा विलेख निष्पादित किया जा रहा है। अतः दावत पट्टा अवधि 30 वर्ष पक्षकारान - निम्न नियमों व शर्तो के पाबन्द होते है:-

1. यह कि उक्त आवासीय भूमि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष की अवधि हेतू पट्टे पर प्रदान की है। पट्टे की अवधि दिनांक 17-1-2005 ई0(सत्रह जनवरी सन् दो हजार पांच ईस्वी) से प्रारम्भ हो गई है जो निरन्तर कुल तीस वर्ष की अवधि तक अर्थात 16-1 2035 (सोलह जनवरी दो हजार पैंतीस ईस्वी) तक जारी रहेगी।

2. यह कि उक्त भूमि का कुल वार्षिक लीजरेन्ट/ किराया पक्षकारान के मध्य 6000/- रूपये तय किया गया है। द्वितीय पक्ष वार्षिक लीजरेन्ट प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह में अग्रिम रूप से प्रथम पक्ष को नियमित रूप से अदा करते रहेंगे।

3. यह कि उक्त भूमि पर स्थल पर कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा लीज अवधि के शुरू होने पर द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया गया था। द्वितीय पक्ष ने कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त उक्त भूमि पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्य

Forte Institute of Technology Meerut